न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 309 / 2016

उनवान

1. रामा पिता सोराम गुर्जर निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. भगवती प्रसाद पिता देबीलाल ब्राह्मण निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
2. धापूदेवी पत्नि देबीलाल ब्राह्मण निवासी जेतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता बालूराम ब्राह्मण निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
4. रूकमा पत्नि गोर्धन गुर्जर निवासी बालापुरा प0म0जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बदनोर के प्रकरण संख्या 116 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015

अधिवक्तागण :-

1. श्री मुनीर गनी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 5

निर्णय

दिनांक 15.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जेतपुरा तहसील भीम जिला उदयपुर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के सामलाती खाता सम्वत् 2012 से 2015 की जमाबन्दी के खाता संख्या 53 की आराजी नम्बर 556, 557, 560, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 583, 584, 585, 586 कुल कीता 13 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा लगानी 14रू0 25 पैसे व खाता संख्या 53 / 1 की आ0नं0 579, 580, 575, 582 कुल कीता 4 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 53 / 2 में आराजी नम्बर 581 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। मौके पर 2 चाह भी स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। इस प्रकार उक्त खातों मे 1 / 2 हिस्सा वादी का बनता है। जिसमें से 11 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वान्सी खाते में रकबा बनता है। व 1 / 2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1 / 4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 4 हिस्सा साबिक रेकार्ड अनुसार व कब्जे अनुसार बनता है। व प्रतिवादी संख्या 4 रूकमा को 3 बीघा भूमि बेची इसलिए वादी में प्रतिवादी स्थापित किया गया।

2. यह कि हाल खाता संख्या 371 सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी में वादी के आराजी नम्बर 1517 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आ0नं0 1524 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 6बिस्वान्सी, आ0 न0 1529 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, व आ0लं0 1536 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल कीता 4 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा 6 बिस्वान्सी व आ0नं0 1533 रकबा 3 बीघा कुए वाला खेत से जाना जाता है। इस प्रकार 9 बीघा 4 बिस्वा 4 बिस्वान्सी तो वादी के कब्जे व खातेदारी में चली आ रही है। बाकी रकबा हाल सेटलमेन्ट विभाग ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खाते में जोड़ दिया। जबकि मौके पर आराजी नम्बर 1526 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व आ0नं0 1538 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि कुल कीता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ने विधि के प्रावधानो से हटकर कानून हाथ में लेकर पूर्व की प्रविष्टियों अनुसार कब्जे की पुष्टि किये बिना बिना कोई न्यायालय आदेश व डिक्री के प्रतिवादीगण के नाम उक्त 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा खाते में जोड़ दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खाता संख्या 258 में रकबा बढ गया।

3. (क) यह कि खाता संख्या 258 जमाबन्दी सम्वत्2064 से 2067 की आराजी नम्बर 1518, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1534, 1535, 1536 कुल कीता 9 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा लगानी 17 रू0 17 पैसे में से आ0नं0 1526 व आ0नं0 1538 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा उक्त खाते में से कम करे वादी के नाम खाते में खातेदारी घोषित की जावे व इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा करके चालू रेकार्ड में वादी कें खाता संख्या 371 में उक्त आराजी नम्बर 1526 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व आ0नं0 1538 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जोड़ने पर कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा 5 बिस्वान्सी रकबा ही 1/2 बनता है। सेटलमेन्ट द्वारा जो इन्द्राज गलत किये गये उनकी शुद्धि एवं कब्जे व पूर्व खातेदारी अनुसार वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ख) यह कि खाता संख्या 367 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में आराजी नम्बर 1531 गेमु0 चाह रकबा 0.3 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा बनता है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने वादी का चाह में 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो अवैध होकर लिपिक भूल भी हो सकती है। इस प्रकार वादी चाह में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा के साथ इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा कराने का अधिकारी है जिसका वादी को विधिक अधिकार है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इस प्रकार बिनाय वाद दिनांक 01.04.2014 को इसके बाद वादी ने राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

और वाद पेश करने से बिनाय वाद पैदा होकर लगातार जारी है।

4. अतः वादी की प्रार्थना है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 इस आशय की खातेदारी घोषणात्मक व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री वाद की चरण संख्या 3 में वर्णित खातों में से खाता संख्या 258 के रकबे में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते में से हटाकर वादी के खाता संख्या 371 में आराजी नम्बर 1526 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व आ0नं0 1538 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा प्रतिवादी के खाते से हटाकर वादी के खाते में मय लगान के साथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे व चाह का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित कर इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्रदान की जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी के रामा पिता सोराम गुर्जर ने वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0ए0 व 136, भू रा0अ0 में पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र बिना कोई तनकीयात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णित करते हुए डिक्री पारित कर दी । लोक अदालत कैम्प कोर्ट परा तहसील बदनोर मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अन्तिम आदेश पारित किया। उक्त निर्णय की प्रति दिनांक 25.10.2016 को अपीलान्ट की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जानकारी में आयी व निर्णय की प्रति दिनांक 10.11.2016 को प्राप्त हुई पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में गंगापुर सहायक कलेक्टर साहब जो राजस्व कैम्प लोक अदालत के समय बदनोर उपखण्ड के प्रभारी थे ऐसी स्थिति में पत्रावली प्राप्त होने पर ही यह नकल मिली इसलिए अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। देरी का कारण माकूल है । अतः नकल प्राप्ति दिनांक से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि के समय को कन्डोन फरमाते हुए अपील को मियाद में शुमार फरमावें। ।

8. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी से जवाब लिए एवं तनकीयात विरचित किए बिना ही प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प परा में निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत की मंशा उभयपक्षों की उपस्थिति में आपसी राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण करना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी/प्रत्यर्थी से जवाब लिए ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की जो खारिज योग्य है।

9. बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

10. बहस में प्रत्यर्थी सं0 5 राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाब हेतु नियत था। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का जवाब प्राप्त नहीं किया व वाद बिन्दु कायम किए बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने ही राजस्व लोक अदालत शिविर परा पर प्रस्तुत कर दिनांक 21.05.2015 को वाद खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज योग्य है । अपीलार्थी के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 19.09.2014 को दर्ज होकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख 15.12.2014 नियत की गई। दिनांक 15.12.2014 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य से दौरे पर होने से आगामी सुनवाई हेतु तारीख 16.03.2015 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 15.12.2014 को अधिवक्ता दौलतराज नागोड़ा का अधिकार पत्र शामिल पत्रावली है परन्तु इसका कोई विवरण पत्रावली में अंकित नहीं है। दिनांक 11.03.2015 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक/न्यायालय/2015/6596 दिनांक 10.03.2015 की अनुपालना में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बदनोर को स्थानान्तरित करते हुए प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

30.03.2015 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 30.03.2015 की कोई आदेशिका संधारित नहीं है। दिनांक 01.04.2015 को प्रकरण उपखण्ड न्यायालय आसीन्द से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी बदनोर के न्यायालय में दर्ज करते हुए आगामी दिनांक 30.04.2015 को प्रस्तुत करने की आदेशिका संधारित है जिस पर पीठासीन अधिकारी या रीडर के हस्ताक्षर नहीं है। इसी के नीचे पुनः दिनांक 01.04.2015 की आदेशिका संधारित करते हुए प्रकरण आगामी दिनांक 21.05.2015 को लोक अदालत केम्प परा पर पेश होने की आदेशिका संधारित है परन्तु इस पर भी पीठासीन अधिकारी या रीडर के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आदेशिका में वादी अधिवक्ता मुनीरगनी के हस्ताक्षर है व प्रतिवादीगण की ओर से अण्डरटेकिंग का इन्द्राज अंकित होना स्पष्ट होता है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत/केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र दिनांक 21.05.2015 का जारी होकर संलग्न है जिसके पुस्त पर अपीलार्थी/वादी रामा, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 4 के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित है।

13. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प परा पर दिनांक 21.05.2015 को सुनवाई हेतु रखा गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.05. 2015 को संधारित आदेश में अंकित है कि वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया जाना अंकित है। वादी शहादत प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहते हैं। जिससे वादी की बहस सुनते हुए आदेश पारित किया गया। जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प लगाने की मंशा स्पष्ट है कि प्रकरणों का निस्तारण आपसी सौहार्द एवं आपसी राजीनामें से किया जावे। तथा विधिक प्रक्रिया अनुसार पत्रावली में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत हो उन्हें प्रदर्श कराये बिना निर्णय के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

परिप्रेक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जावे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना एवं राजस्व लोक अदालत की मंशा के विपरीत प्रकरण का निस्तारण किया गया है जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा कर तथा जवाब आदि रिकॉर्ड पर लिया जाकर विधिक तनकीयात कायम करने के पश्चात साक्ष्य आदि लेकर विधिवत निर्णय पारित किया जाता । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 विधिविरूद्ध होने से अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2015 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना कर पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक वाद बिन्दु कायम कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

15. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/10/2019

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/309/2016

उनवान

1. रामा पिता सोराम गुर्जर निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. भगवती प्रसाद पिता देबीलाल ब्राह्मण निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
2. धापूदेवी पत्नि देबीलाल ब्राह्मण निवासी जेतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता बालूराम ब्राह्मण निवासी जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
4. रूकमा पत्नि गोर्धन गुर्जर निवासी बालापुरा प0म0जैतगढ तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बदनोर
के प्रकरण संख्या 116/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015
अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/**309/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िकी जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 15.10..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री मुनीर गनी की उपस्थिति मे दिनांक 15.10..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2015 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 15.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड़िकी जारी की जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10 TA / 309 / 2016 रामा बनाम भगवती प्रसाद

15/X/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस